रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 707] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2013/चैत्र 1, 1935

No. 707] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2013/CHAITRA 1, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2013

का.आ. 814(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमशः नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों* का विवरण
(1)	(2)	(3)
87बी	127सी	असाम के चिरांग जिले में रारा-27 से प्रारम्भ और भारत/भूटान सीमा पर समाप्त राजमार्ग ।
87सी	127डी	असाम के कामरूप जिले में रारा-27 से प्रारम्भ और भारत/भूटान सीमा पर समाप्त राजमार्ग ।
137ए	340	रारा-40 पर रायाचोटी से प्रारम्भ होकर चिन्नामंदम, गुररामकोंडा को जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में कुरबालाकोटा के निकट रारा-42 के जंक्शन पर समाप्त राजमार्ग ।
189	160	रारा-60 पर सिन्नार से प्रारम्भ होकर शिरडी को जोड़ते हुए महाराष्ट्र राज्य में अहमद नगर के समीप रारा-61 के जंक्शन पर समाप्त राजमार्ग ।
190बी	361	रारा-52 पर तुलचापुर से प्रारम्भ होकर लातूर, अहमदपुर, नान्देड, यवतमाल, वर्धा को जोड़ते हुए महाराष्ट्र राज्य में बूटी बोरी के समीप रारा-44 के जंक्शन पर समाप्त राजमार्ग ।
194ए	363	महाराष्ट्र राज्य में रारा-63 पर सिरोंचा से प्रारम्भ होकर महादेवपुर, पारकल को जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में आत्माकुर के समीप रारा-163 के जंक्शन पर समाप्त राजमार्ग ।
197ए	365	रारा-48 पर नाकरीकल से प्रारंभ होकर तुंगातुरती, महबूबाबाद,नरसमपेट जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में मल्लमपली के समीप रारा-163 के जंक्शन पर समाप्त राजमा ।

197बी	565	रारा-65 पर नाकरीकल से प्रारंभ होकर नलकोंडा, मच्छरेला,इयागोंडापाल्लम, कनीगिरी, रापुर, वेंकटागिरी जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में इरपेडू के समीप रारा-71 के जंक्शन पर समाप्त राजमार्ग ।
197सी	765	रारा-48 पर नाकरीकल से प्रारंभ होकर तुंगातुरती,महबूबाबाद,नरसमपेट जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में मल्लमपली के समीप रारा-163 में समाप्त राजमार्ग ।

*उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याएं नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याएं हैं ।

[फा. सं. एनएच-14012/10/2011-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण:—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 11एससी तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 1832 (अ) तारीख 14 अगस्त, 2012 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2013

S.O. 814(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways *
(1)	(2)	(3)
87 B	127 C	The highway starting from NH- 27 in Chirang District, **Assam** and terminating at India / Bhutan Border.
87 C	127 D	The highway starting from NH- 27 in the district of Kamrup, **Assam** and terminating at India/Bhutan Border.
137 A	340	The highway starting from Rayachoti on NH-40, connecting Chinnamandem, Gurramkonda and terminating at its junction with NH-42 near Kurabalakota in the state of **Andhra Pradesh.**
189	160	The highway starting from Sinnar on NH-60 connecting Shiridi and terminating at its junction with NH-61 near Ahmadnagar in the state **Maharashtra.**

190B	361	The highway starting from Tuljapur on NH-52 connecting Latur, Ahamadpur, Nanded, Yavatmal, Wardha and terminating at its junction with NH-44 near Buti Bori in the state of **Maharashtra.**
194 A	363	The highway starting from Sironcha on NH-63 in the state of Maharashtra, connecting Mahadeopur, Parkal and terminating at its junction with NH-163 near Atmakur in the state of **Andhra Pradesh.**
197A	365	The Highway Starting from Nakrekal on NH-65, connecting Tungaturti, Mahbubabad, Narsampet and terminating at its junction with NH 163 near Mallampalli in the state of **Andhara Pradesh.**
197 B	565	The Highway Starting from Nakrekal on NH-65, connecting Nalgonda, Macherla, Erragondapalam, Kanigiri, Rapur, Venkatagiri and terminating at its junction with NH-71 near Erpedu in the state of **Andhra Pradesh.**
197 C	765	The highway starting from Hyderabad (Junction of NH-44 and 40) connecting Maisaram, Amangal, Veldanda, Kalvakurti, Achampet, Srisailam, Doranala and terminating at its junction with NH-565 near Tokapalle in the state of **Andhra Pradesh.**

* The National Highway numbers mentioned in column (3) of the above table are new numbers of the Highways.

[F. No. NH-14012/10/2011-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note:—The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated the 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O.2312 (E) dated 26th September, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2013

का.आ. 815(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं.का.अ. 689 (अ) में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती हैं ।

अनुसूची में क्र. सं. 190ए, 199, 206 और 211, और इनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)*
"190ए	161	रारा-53 पर अकोला से प्रारंभ होकर महाराष्ट्र राज्य में वाशिम, हिंगोली, नांदेड, डिगलूर को जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में सांगारेड्डी के समीप रारा-65 के जंक्शन पर समाप्त राजमार्ग ।
199	166	रत्नागिरी से प्रारम्भ होकर टिंक, पाली, कोल्हापुर, संगोली को जोड़ते हुए महाराष्ट्र राज्य में शोलापुर के समीप रारा-65 के जंक्शन पर समाप्त राजमार्ग ।

206	67	रारा-748 पर रामनगर से प्रारम्भ होकर कर्नाटक राज्य में धारवाड़, हुबली, गडक, कोपल, होसपेट, बेल्लारी को जोड़ते हुए, रारा-16 पर गूटी टाडापत्री, मुद्दानरू, मेडूकुरू, बादवेल, आत्माकुर, नेल्लूर को जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णापतनम पत्तन पर समाप्त राजमार्ग ।
211	71	रारा-42 पर मदनपल्ली से प्रारम्भ होकर पिलेरू, तिरूपती, रेनीगुंटा,इरपेडू को जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में नायडूपेटा के समीप रारा-16 के जंक्शन पर समाप्त राजमार्ग ।

*उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याएं नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याएं हैं ।

[फा. सं. एनएच-14012/10/2011-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण:—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस.आर.ओ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 2312 (अ) तारीख 26 सितम्बर, 2012 द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2013

S.O. 815(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial numbers 190A, 199, 206 and 211, and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)*
"190A	161	The highway starting from Akola on NH-53 connecting Washim, Hingoli, Nanded, Diglur in the State of Maharashtra and terminating at its junction with NH-65 near Sangareddi in the state of Andhra Pradesh.
199	166	The highway starting from Ratnagiri connecting Tink, Pali, Kolhapur, Sangole and terminating at its junction with NH-65 near Solapur in the state of Maharashtra.
206	67	The highway starting from Ramnagar on NH-748 connecting Dharwad, Huballi, Gadag, Koppal, Hospet, Bellary in the state of Karnataka connecting Gooty, Tadapatri, Muddanru, Maidukuru, Badvel, Atmakur, Nellore on NH-16 and terminating at Krishnapatnam Port in the state of Andhra Pradesh.

211	71	The highway starting from Madanpalle on NH-42 connecting Pileru, Tirupati, Renigunta, Erpedu and terminating at its junction with NH-16 near Nayudupeta in the state of Andhra Pradesh.".

* The National Highway number mentioned in column (3) of the above table are new national Highways numbers."

[F. No. NH-14012/10/2011-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note:— The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated the 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O.2312 (E) dated 26th September, 2012.

1821 GI/13-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.